उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्या—**526** / VIII-1 / 22—740(श्रम) / 2002

देहरादूनः दिनांक । । नवम्बर, 2022

अधिसूचना

विविध

चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) नियमावली,2003 में संशोधन कर संविदाकार के अनुज्ञा (License) की वर्तमान ऑनलाईन अनुज्ञा की प्रक्रिया में स्वतः अनुज्ञा (Deemed Licensing) का प्रावधान किया जाए, संविदाकार की अनुज्ञा हेतु संविदाकार द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा, जैसा कि नियमावली अथवा समय—समय पर प्रासंगिक नियमों में उल्लिखित हो और यदि आवेदन की तिथि से बीस दिन की अविध में अनुज्ञा अधिकारी द्वारा आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो अनुज्ञा हेतु किया गया आवेदन स्वतः ही स्वीकृत माना जायेगा;

और चूँिक, राज्य सरकार का यह भी समाधान हो गया है कि उत्तराखण्ड संविदा श्रिमिक (विनियमन तथा उत्सादन) नियमावली,2003 में संशोधन कर मुख्य नियोजक के वर्तमान ऑनलाईन पंजीयन की प्रक्रिया में स्वतः पंजीयन (Deemed Registration) का प्रावधान किया जाए, मुख्य नियोजक के पंजीयन हेतु मुख्य नियोजक द्वारा ऐसी शर्तो के अधीन निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाईन आवेदन किया जायेगा, जैसा कि नियमावली अथवा समय—समय पर प्रासंगिक नियमों में उल्लिखित हो और यदि आवेदन की तिथि से बीस दिन की अविध में पंजीयन अधिकारी द्वारा आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो पंजीयन हेतु किया गया आवेदन स्वतः ही स्वीकृत माना जायेगा। व्यापार की सुगमता (Ease Of Doing Business) को बढ़ावा देने तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण की दृष्टि से उक्त संशोधन किये जाने अपरिहार्य है। भारत सरकार से Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत भी उक्त दिशा—निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतएव, अब राज्यपाल संविदा श्रम (विनियम तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) नियमावली,2003 में संलग्न प्रारूप नियमावली के अनुसार संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं तथा ऐसे सभी व्यक्ति जिनको संशोधन से प्रभावित होने की संभावना है, से आपित्तियां या सुझाव आमंत्रित हैं।

राज्यपाल यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिसूचना पर आपितत या सुझाव, यिद कोई हो तो, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन से सात दिनों की अविध के भीतर श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी नैनीताल को अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दें, जो समस्त सुझाव/आपित्तयों को संकलित करके अपनी टिप्पणी के साथ शासन को उपलब्ध करायेंगे।

उक्त सात दिनों की समयाविध के पश्चात कोई आपत्ति या सुझाव स्वीकार एवं विचार नहीं किये जायेंगे।



प्रारूप नियमावली उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली, 2022

2

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारम्भ

- 1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) (संशोधन) नियमावली, 2022 है।
 - (2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड पर लागू होगी।
 - (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।
 - उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) नियमावली,2003 के नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात

नियम 17 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम

अधिष्ठानों के रजिस्टीकरण के लिए आवेदन—पत्र देने की रीति [धारा —7(1) तथा 35(2) (सी)]

- (1) धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पत्र तीन प्रतियों में प्रपत्र संख्या 1 में उस क्षेत्र के रिजस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी को दिया जाएगा जिस क्षेत्र में रिजस्ट्रीकृत होने वाला अधिष्ठान स्थित हो।
- (2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट आवेदन –पत्र के साथ कोषागार रसीद होगी जिसमें अधिष्ठान के रजिस्टीकरण के लिए भुगतान की गई फीस उल्लिखित होगी।
- (3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन—पत्र या तो व्यक्तिगत रूप से रिजस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी को दिया जाएगा अथवा उसे रिजस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायगा।

स्तम्भ–2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम

अधिष्ठानों के रजिस्टीकरण के लिए आवेदन की रीति [धारा–7(1) तथा 35(2) (सी)]

- (1) धारा 7 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र—1 में उस क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी को विभाग के संगत आन—लाईन पोर्टल पर किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक मुख्य नियोजक श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारिक पोर्टल पर पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक अभिलेख जैसा कि पोर्टल/संगत नियमों में अपेक्षित हो, सहित उपलब्ध ऑनलाईन प्रारूप में आवेदन अपलोड करेगा और आवेदन करने के 20 दिन में यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा पंजीयन/आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो पंजीयन स्वतः स्वीकृत समझा जाएगा।



(4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन —पत्र प्राप्त होने पर रिजस्ट्रकर्ता अधिकारी उस पर आवेदन—पत्र प्राप्त होने का दिनांक लिखने के पश्चात आवेदक को अभिस्वीकृति का पत्र भेजेगा।

नियम 21 का संशोधन

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम लाइसेन्स के लिए आवेदन–पत्र [धारा–13(1) तथा 35(2) (घ)]

(1) लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन—पत्र संविदाकार द्वारा प्रपत्र संख्या 4 में, तीन प्रतीयों में, उस क्षेत्र के, जिसमें वह अधिष्ठान स्थित है और जिसका कि वह संविदाकार है, लाईसेन्स अधिकारी को दिया जायेगा।

(2) लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन—पत्र के साथ प्रपत्र संख्या 5 में मुख्य सेवायोजक द्वारा इस आशय का एक प्रमाण—पत्र होगा कि आवेदन उसके अधिष्ठान के संबंध में संविदाकार के रूप में सेवायोजित किया गया है और वह अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के समस्त उपबंधों से वहां तक बाध्य होने का वचन देता है जहां तक आवेदकों द्वारा संविदा श्रमिक के सेवायोजक के रूप में उस पर वे उपलब्ध लागू हों।

उत्तराखण्ड संविदा श्रमिक (विनियमन तथा उत्सादन) नियमावली,2003 के नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–2 एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम अनुज्ञा के लिए आवेदन [धारा–13(1) तथा 35(2)(घ)]

- (1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र संविदाकार द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन प्रपत्र—4 में उस क्षेत्र के अनुज्ञा अधिकारी को विभाग के संगत आन—लाईन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक संविदाकार श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अधिकारिक पोर्टल पर पूर्व निर्धारित शुल्क के प्रमाण के साथ प्रासंगिक अभिलेख सहित जैसा कि पोर्टल/संगत नियमों में अपेक्षित हो, ऑनलाईन प्रारूप में आवेदन अपलोड करेगा और आवेदन करने के 20 दिन में यदि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञा/आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो अनुज्ञा स्वतः स्वीकृत समझी जाएगी।
- (2) लाइसेन्स स्वीकृत किये जाने के लिये प्रत्येक आवेदन—पत्र के साथ प्रपत्र संख्या 5 में मुख्य सेवायोजक द्वारा इस आशय का एक प्रमाण—पत्र होगा कि आवेदन उसके अधिष्ठान के संबंध में संविदाकार के रूप में सेवायोजित किया गया है और वह अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के समस्त उपबंधों से वहां तक बाध्य होने का वचन देता है जहां तक आवेदकों द्वारा संविदा श्रमिक के सेवायोजक के संबंध में मुख्य सेवायोजक के रूप में उस पर वे उपबन्ध लागू हों।



- (3) प्रत्येक ऐसा आवेदन-पत्र लाइसेन्स को या तो व्यक्तिगत रूप से दिया जायेगा अथवा उसे रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा।
- (4) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन —पत्र प्राप्त होने पर, लाइसेन्स अधिकारी उस पर आवेदन —पत्र प्राप्त होने का दिनांक लिखने के पश्चात् आवेदक को अभिरवीकृति का पत्र भेजेगा।
- (5) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन— पत्र के साथ कोषागार रसीद भी होगी जिसमें :—
- (1) नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति को जमा राशि, तथा (2) नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरों पर फीस का भुगतान प्रदर्शित होगा।

- (3) उप नियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन— पत्र के साथ कोषागार रसीद भी होगी जिसमें :—
- (i) नियम 24 में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिभूति को जमा राशि, तथा
- (ii) नियम 26 में विनिर्दिष्ट दरो पर फीस का भुगतान प्रदर्शित होगा।

आज्ञा से, (आर्थ मीनाक्षी सुन्दरम) सचिव।

संख्या:—526 (1) / VIII-1 / 22—740(श्रम) / 2002 तददिनांकित प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल ,पौड़ी।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी, नैनीताल को इस निर्देश से प्रेषित कि प्रारूप नियमावली को ऐसे सभी व्यक्ति जिनको अधिसूचना द्वारा किये जा रहे संशोधन से प्रभावित होने की सम्भावना है, के मध्य प्रसारित/प्रकाशित करते हुए अधिसूचना में निर्धारित समयाविद्ध के अन्तर्गत उनसे प्राप्त आपित्त या सुझाव पर अपना सुस्पष्ट अभिमत अंकित करते हुए प्राप्त आपित्तयों का निराकरण किये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 5. गार्ड फाईल।

(शिव विमूति रंजन) अनु सचिव।



In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India $^{\prime}$, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. $^{\prime}$ VIII-1 / 22-740 (labour) / 2002 dated: November, 2022 for general information.

Government of Uttarakhand Labour Section

No. 526 / VIII - 1/22-740(labour)/2002

Dehradun, Dated: U November, 2022

Notification Miscellaneous

Since the State Government is of the view that the procedure in granting Contract Labour Licence to contractor in Contract Labour (Regulation & Abolition) Rules, 2003 is to be amended in lieu of prevailing online licence process and provision of Deemed Licensing has to be made. For acquiring licence, the contractor shall apply as per specified terms and conditions and submit prescribed fees online as specified in rules relevant from time to time. If the concerned Licensing Officier does not decide the application within 20 days of applying for the same then the application for Licence will be Deemed Approved;

And, since, the State Government is also of view that the procedure in granting Registration to Principal Employer under Contract Labour (Regulation & Abolition) Rules, 2003 is to be amended in lieu of prevailing online registration process and provision for Deemed Approval has to be made. For acquiring registration, the Principal Employer shall apply as per specified terms and conditions and submit prescribed fees online as specified in rules relevant from time to time. If the concerned Registering Officer does not decide the application within 20 days of applying for the same then the application for registration will be Deemed Approved. In order to promote Ease of Doing Business and simplification of procedure the aforementioned amendments are mandatory. Directions from the Government of India have also been received under the Ease of Doing Business programme.

Therefore, now in exercise of the powers conferred in sub-section(1) of section 35 of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970 the Governor propose to amend the Uttarakhand Contract Labour (Regulation and Abolition) Rules, 2003 as per the attached draft rules and invites objections/suggestions from all concerned who may be affected by the proposed amendment.

The Governor hereby also directs that the objections or suggestions, if any, on the mentioned notification should be compulsorily provided within seven days of the publication of this notification to the Labour Commissioner, Uttarakhand, Shram Bhawan, Haldwani, Nainital, who will collect all such suggestions/objections and present before the State government with his/her recommendations.

No objection/suggestions shall be received and entertained after the said seven days.

Draft Rules

Uttarakhand Contract Labour (Regulation & Abolition) (Amendment) Rules, 2022

Short title, extent and commencement

- (1) These rules may be called Uttarakhand Contract Labour (Regulation & Abolition) (Amendment) Rules, 2022
 - (2) It shall extends to the whole of Uttarakhand.
 - (3) It shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of Rule-17

2. In the Uttarakhand Contract Labour (Regulation & Abolition) (Amendment) Rules, 2022 for the existing rule 17 set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

(D)

Column-1 Existing Rules

Manner of making application for registration of establishments: Sections 7 (1) and 35 (2) (c) -

- (1) The application referred to in subsection (1) of section 7 shall be made in triplicate, in Form I to the registering officer of the area in which the establishment sought to be registered is located,
- (2) The application referred to in subrule (1) shall be accompanied by a treasury receipt showing payment of the fees for the registration of the establishment.
- (3) Every application referred to in sub-rule (1) shall be either personally delivered to the registering officer or sent to him by registered post.
- (4) On receipt of the application referred to in sub- rule (1), the registering officer shall, after noting there on the date of the receipt by him of the application, grant an acknowledgment to the applicant.

Amendment of Rule 21

Column-1 Existing Rule Application for a licence : Sections 13 (1) and 35 (2) (d)

(1) Every application by a contractor for the grant of a license shall be made in triplicate in Form no . IV , to the Licensing Officer of the area in which the establishment, in relation to which he is the contractor , is located .

Column-2 Rules hereby substituted Manner of application for registration of establishments [Sections 7 (1) and 35 (2) (c)]

(1) application referred in the sub-section(1) of section-7 shall be applied in Form-1 on the relevant online portal of the Department to the Registering officer of the area.

(2) Every Principal Employer shall apply online the authorized portal of Labour Department, Uttarakhand Government & upload with the proof of submission of prescribed fee and relevant documents as specified on the portal/rules.If the concerned authority does not decide the registration of application with in 20 days of making application, then the registration shall be deemed approved.

3. In the Uttarakhand Contract Labour (Regulation & Abolition) (Amendment) Rules, 2022 for the existing rule 21 set out in column-1 below the rule as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-2 Rule hereby substituted Application for a licence: (Sections 13 (1) and 35 (2) (d)]

Every application by a contractor under sub-section(1) for the grant of a licence shall be made in prescribed Form IV to the licensing officer of the area in which the establishment in relation to which he is the contractor, is located through relevant online portal of Labour Department.

Every application for the grant of licence by a contractor shall be uploaded on the online format on the relevant portal of Labour Department, Uttarakhand Government with the proof of submission of prescribed fee & relevant documents as specified on the portal/rules. If the concerned authority does not decide the licence/ application within 20 days of making the application for grant of license, the license shall be deemed approve.

(d)

- (2) Every application for the grant of a license shall be accompanied by a certificate by the principle employer in Form V to the effect that the applicant has been employed by him as a contractor in relation to his establishment and that he under takes to be bound by all the provisions of the Act and the rules made there under in so far as the provisions are applicable to him as principle employer in respect of the employment of contract labour by the applicants.
- (3) Every such application shall be either personally delivered to the Licensing Officer or sent to him by registered post.
- (4) In receipt of the application referred to in sub rule (1), the Licensing Officer shall after nothing thereon the date of receipt of the application, grant an acknowledgement to the applicant.
- (5) Every application referred to in sub-rule (1) shall also be accompanied by a treasury reciept showing
- (i) the deposit of the security at the rates specified in rule 24, and
- (ii) the payment of the fees at the rate specified in rule 26

- (2) Every application for the grant of a license shall be accompanied by a certificate by the principle employer in Form V to the effect that the applicant has been employed by him as a contractor in relation to his establishment and that he under takes to be bound by all the provisions of the Act and the rules made there under in so far as the provisions are applicable to him as principle employer in respect of the employment of contract labour by the applicants .
- (3) Every application referred to in sub rule (1) shall also be accompanied by a treasury receipt showing:-
- (i) the deposit of the security at the rates specified in rule 24, and
- (ii) the payment of the fees at the rate specified in rule 26.

By Order,

(R.Meenakshi Sundram) Secretary.

M .